पंचदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-28

बुधवार, दिनांक-04 अप्रील, 2012 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.10 बजे अपराह्न तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्ष माननीय सदस्यगण सी०ए०जी० रिपोर्ट के आलोक में सी०बी०आई० जाँच की माँग करते हुए वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे । आसन द्वारा उनसे शांत होने और अपने सीट पर जाने का बार-बार अनुरोध किया गया, लेकिन वे वेल में नारेबाजी करते रहे ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ ।
(iii) 18 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iv) 01 तारांकित प्रश्न क्रमांक 3232 के उत्तर के लिए समय लिया गया ।
(v) 01 तारांकित प्रश्न क्रमांक 3236 पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित ।
(vi) 10 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।
(vii) 148 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्यस्थगन की सूचना :-

माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह एवं अन्य तीन माननीय सदस्यों से तथा माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार से प्राप्त दो अलग-अलग कार्यस्थगन की सूचना के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गई । तत्संबंधी नियमन संलग्न ।

[3] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

(ii) प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति का 29वाँ प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

[4] **यचिकाओं का उपस्थापन** :-

प्रभारी सचिव द्वारा कुल 114 याचिकाओं को सदन पटल पर रखा गया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों को लेकर वेल में लगातार नारेबाजी करते रहे । आसन द्वारा बार-बार अनुरोध के बावजूद सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की बैठक 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 2.00 बजे अप० से 6.15 बजे अप० तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा गया कि भोजनावकाश के पूर्व घोर अव्यवस्था के बीच सदन की कार्यवाही चलती रही । उन्होंने आसन से इस पर नियमन की माँग की । आसन से कहा गया कि सदन नियम की अन्तर्गत ही चला है ।

इस बात पर एवं विपक्ष की बात न सुनी जाती है और न मानी जाती है के विषय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

[5] **गैर सरकारी संकल्प** :-

(i) 09 गैर सरकारी संकल्प स्वीकृत ।

(ii) 18 गैर सरकारी संकल्प अपृष्ठ ।

(iii) 01 गैर सरकारी संकल्प अस्वीकृत ।

(iv) 105 गैर सरकारी संकल्प वापस ।

(गैर सरकारी संकल्प संख्या-4 के निस्तारण के दौरान माननीय अध्यासी सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने आसन ग्रहण किया ।)

गैर सरकारी संकल्प संख्या-56 के निस्तारण उपरांत माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर सदन की सहमति से सदन की अवधि का विस्तार आज के कार्यों के समापन तक किया गया ।

(गैर सरकारी संकल्प संख्या-83 के निस्तारण दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] **प्रश्नों का विवरण** :-

सभा नेता द्वारा यथा संलग्न प्रश्नों का विवरण प्रस्तुत किया गया ।

[7] **अध्यक्षीय समापन भाषण** :-

यथा संलग्न ।

तदुपरांत सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-04.04.2012

लक्ष्मीकान्त झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण,

आज दिनांक 04 अप्रील, 2012 को माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह एवं अन्य तीन माननीय सदस्यों के द्वारा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें सदन के विशेषाधिकार की शक्तियों के सम्बन्ध में विमर्श के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, जो बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम- 99 (v) के तहत नियमानुकूल नहीं है ।

दूसरा प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का है, जो भारत के महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श के सम्बन्ध में है । इस सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महाअंकेक्षक के प्रतिवेदन पर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-236 के तहत विमर्श प्रतिबंधित है, जबतक की नियम-239 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित नहीं कर दिया जाता है ।

आज प्राप्त दोनों कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है ।

सभा नेता : पंचदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में कुल-6105 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 4288 प्रश्न स्वीकृत हुए। स्वीकृत प्रश्नों में 62 अल्पसूचित, 3404 तारांकित एवं 822 अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या-589, सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तर-1278, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या-59, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-13 एवं 2349 प्रश्न अनागत हुए ।